

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मु. नं. 66/17 तारीख 2 जून 14.6.17

उनवान - रघुनाथ बनाम भगवानी गूर्जर
दानी सैनपुर

दावा बाबत इस्तकरारतक व स्थायी निषधाज्ञा

पार्टी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत इस्तकरारतक व स्थायी निषधाज्ञा द्वारा अन्तर्गत 88/188 पेश किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को परिचय सम्मेलन से तालुका कर दिनांक 7.7.17 को पेश हो।

2363-67
14-6-17



उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

7.7.17

पार्टी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1 का पक्षी ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा NDA ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 5 का पक्ष सूचना उपस्थित नहीं है। उक्त P.O. सी. कैम्प में पधार है। आर्डर दि० 28.7.17 को पेश हो।

28.7.17

पहुलाय उप०। प्रतिवादी नं. 5 के पिकर एक पक्षीय कार्रवाही की जाती है। जब पेश करने दि० 7.9.17 को पेश हो।


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर
फर्द अहकाम

दिनांक	
7.9.17	वादी वकील उप० / प्रतिवादी नं. 1 ता. 4 की मिति श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने कालानुसार क्रिया / जवाब पेश करने दि० 26.9.17 को पेश हो।
26.9.17	वकूलाय उप० / जवाब पेश करने दि० 10.10.17 को हो।
10.10.17	वकूलाय उप० / जवाब पेश करने दि० 30.10.17 को
30.10.17	वकूलाय उप० / जवाब पेश करने दि० 14.11.17 को पेश हो।
14.11.17	वकूलाय उप० / जवाब पेश क्रिया / नमूना दिला। कृते तनकी आपस करने दि० 21.11.17 को पेश हो।
21.11.17	वकूलाय उपस्थित/प्रेसन अधिकारी करौली पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 28.11.17 को पेश हो।
28.11.17	वकूलाय उप० / गतानुसार दि० 18.12.17 को पेश हो।
18.12.17	वकूलाय उप० / वास्तु तनकी आपस - डीनार 29.12.17 को पेश हो।

लय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

वकूलाय उप। इस प्रकरण से संबंधित आशुजीयात
मुकदमा अनवानी भगवानी देवी नाम रघुनाथ चाल
दी वकील अभय प्रसा ने इस प्रकरण को मुं. नं. 31/17
तारीख 26.4.17 के साथ हस्तप्रतिता करेन वा कथन कर
जाते दी। अर्वात्तिसन व मनन का इस प्रकरण को
नं. 31/17 में हस्तप्रतिता लिपा जाता है।